कार्यालय नगर निगम, (दक्षिण) जोधपुर

दिनांकः– 13/5/21

क्रमांकः– 2253

27 यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट) की नीलामी एक समुह में (वर्ष 01 जुन 2021 से 31 मई 2022 तक) 01 वर्ष हेतु की नियम व शर्ते

01. विज्ञापन उपविधियां 1976–2008 संशोधित व 2016 की समस्त धाराओं की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
02. नीलामी 01 वर्ष तक के लिए मान्य होगी।
03. 27 यूनिपोल (एक समुह में) की न्युनतम आरक्षित बोली 33,43,000/– रूपये हैं।
04. ई–निलामी का निर्धारित समय प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.30 बजे तक रहेगा। अंतिम 15 मिनट में संवेदक/फर्म द्वारा बोली दिये जाने पर ई–निलामी की समयावधि में प्रत्येक बार स्वतः ही 30 मिनट की वृद्वि हो जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा मध्य रात्रि 12.00 बजे तक ही होगी।
05. नीलामी ई–ऑक्शन द्वारा होगी। यूनिपोल नीलामी (एक समुह) के हिसाब से की जायेगी।
06. नीलामी मे सफल बोलीदाता को मौके पर ही स्वीकृति राशि की 25 प्रतिशत राशि रोकड़/डी.डी./बैंकर चैक/आरटीजीएस के रूप में जमा करवानी होगी। शेष 75 प्रतिशत बकाया राशि 30 दिवस के भीतर जमा करानी होगी, जिसकी लिखित में अलग से सूचना नहीं दी जावेगी। निर्धारित अवधि में 75 प्रतिशत जमा नहीं करवाने पर 25 प्रतिशत जब्त कर ली जावेगी।
07. नीलामी अंतिम रूप से स्वीकृत हो जाने के पश्चात सफल नीलामीदाता को निगम के स्वीकृती साईट प्लान अनुसार यूनिपोल लगाना होगा। यूनिपोल लेने की तिथि से 7 दिन के भीतर–भीतर फर्म अपनी साईट का भौतिक कब्जा अवश्य प्राप्त कर लें। साईट प्लान के विपरीत कार्य करने पर साईट निरस्त कर दी जाएगा। यूनिपोल स्ट्रक्चर निमार्ण व स्थापित करने का सम्पूर्ण व्यय संवेदक द्वारा किया जावेगा। निगम द्वारा किसी प्रकार हर्जा खर्चा नहीं दिया जावेगा।
08. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जायेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एंव जी.एस.टी. राशि का बैंकर/चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 जून 2022 से 31 मई 2023 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एंव निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एंव केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 जून 2023 से 31 मई 2024 तक के नवीनीकरण के लिए पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एंव निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एंव जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एंव अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। युनिपोल अनुज्ञा–पत्र अधिकतम दो वर्षो तक नवीनीकरण किया जावेगा।
09. जनहित, जनसुरक्षा एवं यातायात आदि की कोई भी समस्या आने पर निगम किसी भी यूनिपोल को तत्काल सुचित कर हटा सकेगा।
10. युनिपोल पट्ट की न्युनतम उंचाई 10 फीट व अधिकतम् 15 फीट रखनी होगी। प्रत्येक यूनिपोल के नीचे के भाग पर 6 इंच पट्टी पर फर्म का नाम, यूनिपोल सं. व नगर निगम अंकित करे तथा स्वच्छ जोधपुर–स्वस्थ जोधपुर–हरित जोधपुर 30 दिन में अवश्य अंकित कर उसकी फोटो निगम में पेश करें। अन्यथा निगम उनको अनाधिकृत मानते हुए हटा देगी,इस हेतु पृथक से सूचित नहीं किया जाएगा। सभी युनिपोल सिल्वर रंग के होंगे।
11. यूनिपोल विज्ञापन एंव स्ट्रक्चर लगाने या उतारते समय व लाईसेन्स अवधि में अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की स्वयं की होगी अन्य साईटस को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचांई जायेगी। इसमे निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
12. कोई बोलीदाता शर्तो की पालना किए बिना युनिपोल नहीं लगायेगा। यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल है। यूनिपोल नीलामी शर्तो/उपविधियों का उल्लघंन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जायेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साईट के पेटे जमा कराई गई समस्त शेष राशि नगर निगम जोधपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साईट से अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
13. लाईसेंस अवधि समाप्त तिथि को यूनिपोल सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति द्वारा स्वंय के खर्चे पर हटवा लिया जावेगा। अन्यथा लाईसेन्स अवधि समाप्ति तिथि के तुरन्त बाद नगर निगम द्वारा हटवाने पर 20x10

नगर निगम, जोधपुर

Scanned with CamScanner

यूनिपोल के लिये रू. 40,000/– हर्जा–खर्चा वसूल किया जायेगा एंव यदि यूनिपोल हटवाने की कार्यवाही में, यूनिपोल की आंशिक या पूर्णक्षति होगी तो नगर निगम जोधपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह यूनिपोल को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी तूफान आदि की स्थिति में यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अुनज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेसिंग ऑथेरिटी) के आदेश एंव निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जोधपुर को हो सकेगी।
16. किसी प्राकृति आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल मुडकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते है तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खडा करना/सुरक्षित स्थान पर रखने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
17. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
18. समय–समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं व्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
19. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम–2009 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
20. शास्त्री नगर थाने के बाहर स्थित मेगा यूनिपेाल (सिंगल फेसिंग) व राईकाबाग ओवर ब्रिज के पास स्थित यूनिपोलों (मेगा यूनिपोल, डबल फेसिंग)की साईज 30X15 फीट की होगी। इनकी भुमितल से अधिकतम उंचाई कमशः 15 फुट व 10 फीट, 30' व 15' फुट की न्यूनतम उँचाई पर लगाना होगा।
21. किसी भी तरह की कानुनी विवाद, मुकदमा, वाद का न्यायिक क्षैत्र केवल जोधपुर ही होगा तथा मुकदमा करने की स्थिती में समस्त जिम्मेवारी लाईसेंसी की होगी। तथा उसे अपने स्तर पर ही कार्यवाही करनी होगी। निगम का कोई दायित्व नहीं होगा।
22. नीलामी बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा स्थगित करने का निगम को पुर्ण अधिकार होगा।
23. फर्म में निगम की पुर्व की राशि बकाया होने पर वह व्यक्ति फर्म नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा।
24. लोकसभा/विधानसभा तथा अन्य किसी भी प्रकार के चुनाव जो चुनाव आयोग द्वारा संचालित होते है, ऐसे चुनावों के संबंध में किसी भी स्थान पर पार्टी या उम्मीदवार के बैनर, यूनिपोल, कट आउट इत्यादि लगाने से पुर्व, जिला निर्वाचन अधिकारी व नगर निगम कार्यालय से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी।
25. नगर निगम जनहित में तथा केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के विभाग की योजना, कार्यक्रम संबंधित साईट लगाने की स्वीकृति दे सकेगा।
26. कोई भी साईट शिफ्ट नहीं होगी। यदि अति आवश्यक हुआ तो निगम की स्वीकृति के पश्चात् ही शिफ्ट होगी।
27. साईट्स नक्शे/लिस्ट में दर्शाए स्थल या पूर्व से स्थापित स्थान पर ही लगानी होगी। (चिन्हित स्थानों पर) अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर उस साईट को पुनः निलाम किया जायेगा।
28. नई साइट स्थापित करने में अगर कोई कठीनाई उत्पन्न होती है तो संबंधित संवेदक को 15 दिन के भीतर–भीतर निगम को इसकी लिखित सूचना अवश्य देनी होगी, बाद मियाद कोई विचार नहीं किया जाएगा, संवेदक उस साईट की राशि काट नहीं सकेगा।
29. केन्द्र, राज्य सरकार एवं नगर निगम के समस्त प्रकार के कर, शुल्क संवेदको द्वारा देय होंगे।
30. लाईसेंस फीस के साथ जीएसटी जमा कराना अनिवार्य हैं।
31. आपत्तिजनक/असामाजिक सन्देश इत्यादि विज्ञापन यूनिपोलो पर प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे।
32. लाईसेंन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जोधपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जोधपुर (दक्षिण)

आयुक्त
नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)

Scanned with CamScanner